संख्याः 1778/9–आ–1–93–213 डी0ए0/94

प्रेषक, **श्री प्रभास कुमार झा,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1.आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 24 मई, 1995

विषय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री–होल्ड में परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1639/9–आ–1–95–80 मिस/86 दिनांक 10 मई, 1995 के प्रस्तर –2 के उप प्रस्तर(2) की द्वितीय पंक्ति में रजिस्ट्रेशन मूल्य के स्थान पर त्रुटिवश रजिस्ट्रेशन शुल्क टंकित हो गया है अतः उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 10 मई, 1995 के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर (2) निम्नवत पढ़ा जाय।

2(2) जिन आवंटियों का पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर उसे फ्री–होल्ड कर दी जायेगी। उक्त की सुविधा उन्हें ही अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है और फ्री–होल्ड करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। लीज रेंट जमा करने के सम्बन्ध में आध्यादेश दिनांक 23.10.86 प्रस्तर–1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. अतः कृपया तदनुसार उपरोक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधीत समझा जाए तथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

प्रभास कुमार झा,
विशेष सचिव

संख्याः 1778(1)/9–आ–1–95, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
अनुसचिव